Bail Application/1443/2026

UPUN010034382026

Bail Application/1443/2026
IN THE COURT OF
Special Judge SC/ST Court No. 2
AT, Unnao
(Presided Over by Ankita Shukla)

1. शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बेवल थाना पुरवा जिला उन्नाव।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

1- उ०प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।
2. रामराज पुत्र सीताराम निवासी ग्राम बेवल थाना बिहार जिला उन्नाव।

.....**विपक्षी**

मु.अ.सं. 104/2026
धारा- 140(1), 115(2), 351(3) बी.एन.एस.
3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट
थाना बिहार, जिला उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक- 23.06.2026

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त शिवकुमार की ओर से मु.अ.सं. 104/2026, धारा- 140(1), 115(2), 351(3) बी.एन.एस. व 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट, थाना बिहार जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त उक्त धाराओं के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मेरा पुत्र जिसका नाम उत्कर्ष जो कक्षा 5 में शिव बालक सीताराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल केदारखेड़ा में पढ़ने गया था छूट्टी के पश्चात जब वह अपने घर साइकिल से आ रहा था तभी रास्ते में मोतीखेड़ा के पास शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल अपने साथियों के साथ आए और बच्चे को एक झापर मारकर गाड़ी में बिठाकर ले गये बच्चे की साइकिल व टिफिन सड़क से बरामद हुआ है। शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल कुशवाहा गांव बेवल का ही मूल निवासी है तथा शिव कुमार ने मुझे फोन कर के मेरे पुत्र जिसकी उम्र 11 वर्ष है की हत्या करने की धमकी भी दी है। दिनांक 04/04/26 हस्ताक्षर रामराज प्रार्थी रामराज पुत्र सीताराम ग्रा0 बेवल पो० पकराखुर्द थाना बिहार उन्नाव मो0 9235782575 । पर आदेश थानाध्यक्ष महदोय HM/CC अभियोग पंजीकृत करे।

जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है उसे हैरान व परेशान करने के लिए मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त

घटना का कोई आँखो देखा गवाह नही है स्वयं वादी द्वारा भी घटना घटित होते नही देखा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई समय दर्शित नही किया गया है। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का कोई मोटिव दर्शित नही किया गया है कि क्यो प्रार्थी द्वारा उसके पुत्र की हत्या की धमकी दी गयी जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कही भी जाति सूचक शब्दो से संबोधित करना प्रार्थी द्वारा नही बताया गया है जिससे साबित है कि प्रार्थी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। उपरोक्त घटना में लास्ट सीन साक्ष्य भी नही है जिससे साबित है कि प्रार्थी पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। उपरोक्त घटना का कोई भी आईडेटीकेशन परेड नही कराया गया है। चिकित्सा साक्ष्य मेडिकल इवीडेन्स भी उपरोक्त घटना की समर्थित नही करता है। उपरोक्त घटना में वादी पुत्र पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है तथा शरीर में कोई भी चोटे नही है। प्रार्थी के पास से वादी पुत्र की बरामदगी फर्जी दिखायी गयी है प्रार्थी ने कोई भी उपरोक्त अपराध कारित नही किया है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद कही भागेगा नही और न ही गवाहान पर बेजा असर डालेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वादी पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है। वादी की तरफ से कोई आपत्ति दाखिल नही की गयी है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एंव विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा रामराज द्वारा दिनांक 04.04.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय कि प्रस्तुत की गयी कि मेरा पुत्र जिसका नाम उत्कर्ष जो कक्षा 5 में शिव बालक सीताराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल केदारखेड़ा में पढ़ने गया था छूट्टी के पश्चात जब वह अपने घर साइकिल से आ रहा था तभी रास्ते में मोतीखेड़ा के पास शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल अपने साथियों के साथ आए और बच्चे को एक झापर मारकर गाड़ी में बिठाकर ले गये बच्चे की साइकिल व टिफिन सड़क से बरामद हुआ है। शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल कुशवाहा गांव बेवल का ही मूल निवासी है तथा शिव कुमार ने मुझे फोन कर के मेरे पुत्र जिसकी उम्र 11 वर्ष है की हत्या करने की धमकी भी दी है। प्रस्तुत प्रकरण में अपहर्ता बाल उत्कर्ष द्वारा अपने बयान 183 बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया है कि मैं दिनांक 04.04.26 को सुबह स्कूल गया। मेरा स्कूल सुबह 8 बजे का था। शिवकुमार मुझे बदिया में सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर मिला

था उस समय मुझे कुछ नहीं कहा, स्कूल की छुट्टी होने के होने के बाद मैं अपने घर वापस लौट रहा था तभी मोती खेड़ा में शिवकुमार मेरी साइकिल के आगे गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया कहा उत्कर्ष रुको। मुझे प्लास्टिक पाईप से मारकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया मैं चिल्लाया किन्तु वहाँ कोई था ही नहीं। मेरे साथ मेरी स्कूल का कोई दोस्त नहीं था। मुझे खेत खेत ले जा कर मौरवा ले गया वहाँ से लखनऊ में ले गया। लखनऊ से मुझे पड़वा खेड़ा ले गया। मुझे शराब की दुकान बैठाकर दारु पी रहा था मैं वहीं पर खड़ा था वहाँ पर शिव कुमार के साथ साथ बहुत से लोग थे। फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त के साथ अपहर्ता बाल उत्कर्ष तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद हुया तथा एक अदद देशी तमंचा 0.312 बोर बरामद किया है। मेडिकल रिपोर्ट में बालक उत्कर्ष को दो चोटे अंकित है जो साधारण प्रकृति की है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है तथा अभियुक्त नामजद अभियुक्त है व अपराध नबालिग लड़के से संबंधित है ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभियुक्त की अपराध में भूमिका एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त शिवकुमार की ओर से मु.अ.सं. 104/2026, धारा- 140(1), 115(2), 351(3) बी.एन.एस. व 3(2)5 एस.सी.एस.टी. एक्ट, थाना बिहार जिला उन्नाव में प्रस्तुत **प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज** किया जाता है।

दि. 23.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2
उन्नाव।